न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 75/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
शंकरलाल पुत्र मोतीराम चौधरी जाति कलबी निवासी जानवी		1. सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना 2. लीलाराम पुत्र मोतीराम जाति कलबी निवासी जानवी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः– 23/09/2022

उपस्थितः
1 श्री सगताराम चौधरी वकील प्रार्थी ।
2. श्री गोरधनराम वकील अप्रार्थीगण ।
3. तहसीलदार चितलवाना

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत वाके सरहद मौजा जानवी पटवार मण्डल जानवी के खसरा संख्या 669 रकबा 3.84 हैक्टर, खसरा संख्या 653 रकबा 3.33 हैक्टर में प्रार्थी का नाम सगताराम से शंकरलाल दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी ने अपने साक्ष्य सबूत के लिऐ मतदाता परिचय पत्र , आधार कार्ड , राशन कार्ड पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि इन समस्त दस्तावेज में मैरा नाम शंकरलाल दर्ज होने एवं राजस्व रिकोर्ड में सगताराम नाम दर्ज होने के कारण में किसान केडिट कार्ड अन्य समस्त सरकारी सुविधाओ से वंचित रहता हुँ अतः मेंरा नाम राजस्व रिकोर्ड में सगताराम से शंकरलाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार चितलवाना को आदेश फरमावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:41 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया मौजा जानवी के खसरा संख्या 653 रकबा 3.33 हैक्टर में प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में सगताराम एवं खसरा संख्या 669 रकबा 3.84 हैक्टर में एकल खातेदार सगताराम दर्ज है । राज पैरोकार के जवाब अनुसार प्रार्थी का नाम पंजिबद्व विक्रय दस्तावेज के जरिये राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुआ है । अन्य समस्त दस्तावेज में प्रार्थी का नाम शंकरलाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

मोतीराज दर्ज है । तथा प्रार्थी ने अपना में महाराष्ट्र शासन राजपत्र में सगताराम मोतीजी चौधरी से शंकरलाल मोतीराम चौधरी परिवर्तन करवा है ।

प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा संख्या वर्ष 2003 एवं 2004 में जरिये बैचान दस्तावेज प्राप्त की गई है बैचान दस्तावेज में प्रार्थी का खरीददार के रूप में सगताराम पुत्र मोतीजी लिखा हुआ है । उक्त बैचान दस्तावेज के बाद के बने समस्त दस्तावेज यथा राशन कार्ड , मतदाता परिचय पत्र , आधार कार्ड एवं पेन कार्ड इत्यादी में शंकरलाल दर्ज है । तथा प्रार्थी द्वारा महाराष्ट्र शासन राजपत्र नवम्बर 17–23 वर्ष 2011 में सगताराम मोतीजी चौधरी से शंकरलाल मोतीराम चौधरी परिवर्तन करवा गया है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा जानवी पटवार मण्डल जानवी के खसरा संख्या 669 रकबा 3.84 हैक्टर, खसरा संख्या 653 रकबा 3.33 हैक्टर में सगताराम की बजाय शंकरलाल राजस्व रिकोर्ड में नाम संशोधन करने का आदेश जारी किया जाता है। तहसीलदार चितलवाना को पालना हेतु तहरीर जारी हो । पक्षकार खर्चा अपना – अपना वहन करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(शैलेन्द्रसिंह आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 23/09/2022 को खले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:41 IST
Reason: SelfAttested